रजिस्टर्ड नं० HP/13/SML/2003.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार, 20 मार्च, 2004/30 फाल्गुन, 1925

राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश

अधिसूचना

शिमला-171002, 18 मार्च, 2004

संख्या रा० नि० आ० 16-29/2000-435.—हिमाचल प्रदेश में नगर निगम के निर्वाचनों को स्वतन्त्र, निष्पक्ष, समय-बद्ध, सुचारू एवं शान्तिपूर्ण ढंग से करवाने हेतु इसके कार्यकाल के पूर्ण होने के दिन से तुरन्त पूर्व के 180 दिनों की अवधि में इसके क्षेत्र तथा सीमाओं में किसी भी परिवर्तन को रोकना उचित, वांछनीय व आवश्यक समझा गया है;

अतः भारत के संविधान के अनुच्छेद 243-ट तथा 243-य क, तथा हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 9 के द्वारा आयोग में निहित शक्तियों तथा इसे ऐसा करने हेतु प्रदत्त अन्य समस्त शक्तियों का उपयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश नगर निगम आदर्श आचार संहिता, 2002 (प्रथम) को संशोधित करता है तथा इस उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश आदर्श आचार संहिता (प्रथम संशोधन), 2004 निर्मित तथा जारी करता है।

4426-राजपत्र/2004-20-3-2004—1,411 (3769) मूल्य : एक रुपया।

1. संक्षिप्त नाम.—1.1. इस संहिता का नाम हिमाचल प्रदेश नगर निगम आदर्श आचार संहिता (प्रथम संशोधन), 2004 होगा ।

1.2 यह संहिता (संशोधन) 21 मार्च, 2004 से लागू तथा प्रभावी होगी ।

2. संगठनात्मक स्थिति को यथावत रखना.—2.1. हिमाचल प्रदेश नगर निगम आदर्श आचार संहिता, 2002 के अनुच्छेद 13 के स्थान पर अधोलिखित नया अनुच्छेद प्रतिस्थापित किया जाएगा :

"किसी भी नगर निगम का पांच वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने से तुरन्त पूर्व के 180 दिन की अवधि में उसके अधिकार क्षेत्र से कोई भी क्षेत्र निकाला नहीं जाएगा और न ही उसमें कोई अन्य क्षेत्र सम्मिलित किया जा सकेगा तथा इस बारे में पहले से लिया गया कोई भी निर्णय उस परिस्थिति के सिवाए, लागू नहीं होगा, जबकि ऐसा निर्णय अन्तिम रूप से लिया गया हो तथा इसकी अधिसूचना हिमाचल प्रदेश राजपत्र में प्रकाशित हो चुकी हो और सम्बन्धित राजपत्र की प्रति आयोग के सचिवालय में ऊपरिलिखित अवधि के शुरू होने से पूर्व प्राप्त हो गई हो ।

नगर निगम भंग होने के फलस्वरूप होने वाले उप-निर्वाचन के उपरान्त होने वाले सामान्य चुनाव के लिए पांच वर्ष के कार्यकाल की गणना उसके भंग होने से पूर्व के अन्तिम सामान्य निर्वाचन के दिन से की जाएगी ।

किसी नगर निगम के भंग होने के दिन से 180 दिन तक नगर निगम के क्षेत्र में ऊपरिलिखित अनुच्छेद में वर्णित किसी भी प्रकार के परिवर्तन के आदेश न तो पारित और न ही लागू किए जा सकेंगे ।

आदेश द्वारा,

कृष्ण चन्द्र शर्मा,
राज्य निर्वाचन आयुक्त,
हिमाचल प्रदेश ।

STATE ELECTION COMMISSION, HIMACHAL PRADESH

NOTIFICATION

Shimla-171002, *the* 18*th March*, 2004

No. SEC-16-29/2000-435.—Whereas it is considered appropriate, desirable and necessary in the interest of free, fair, timely, smooth, orderly and peaceful conduct of elections to the Municipal Corporation to prohibit any change in its territorial and boundaries during a period of 180 days immediately preceding the date on which elections to it would be due ;

Now, therefore, in exercise of the powers vesting in it under Article 243 K and 243 ZA of the Constitution of India, Section 9 of Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994 and all other powers enabling it in this behalf, the State Election Commission of Himachal Pradesh hereby amends the Himachal Pradesh Municipal Corporation Model Code of Conduct, 2002 and with this end in view, makes and issues the Himachal Pradesh Municipal Corporation Model Code of Conduct (First Amendment), 2004.

1. *Short title.*—1.1. This Code shall be called the Himachal Pradesh Municipal Corporation Model Code of Conduct (First Amendment), 2004.

1.2. This Code (First Amendment) shall come into force and be applicable on and from 21 March, 2004.

2. *Organisational Status Quo.*—2.1. In the Himachal Pradesh Municipal Corporation Model Code of Conduct, 2002 for the existing Paragraph 13 the following new Paragraph 13 shall be substituted:

"No area shall be excluded from or added to the territorial jurisdiction of the Corporation during a period of 180 days immediately preceeding the date on which the five year term of the Corporation is due to expire and no decision taken in this behalf earlier shall be implemented during this period unless the decision has been finally taken and a notification in evidence thereof published in the Rajpatra and a copy of the relevant issue of the Rajpatra has been received in the Secretariat of the Commission before the commencement of the above mentioned period:

Provided that in case of a general election to the Corporation after its bye-election following its dissolution, the five year period shall be computed from the date of the last pre-dissolution general election:

Provided further that no alteration to the territorial jurisdiction of the Corporation of the type cotemplated in this paragraph above shall be ordered and implemented during a period of 180 days from the date of its dissolution."

By order,

K. C. SHARMA,
State Election Commissioner, Himachal Pradesh.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित ।